# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कि0रेनवाल जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा** R.A.S.

**राजस्व वाद संख्या :– 97/2024** **दायर तारीख :– 09.10.2024**

1. रामेश्वरलाल पुत्र नारायण
2. गणपतलाल पुत्र नारायण
3. जगदीशप्रसाद पुत्र नारायण
4. गंगादेवी पत्नि नारायण

समस्त जाति जाट नि0 पचकोडिया तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

वादीगण

**बनाम**

1. ग्यारसीदेवी पत्नि हनुमानसहाय
2. नाथीदेवी पत्नि चौथमल
3. प्रभातीदेवी पत्नि जगदीशप्रसाद
4. भूलीदेवी पत्नि घासीराम
5. मूलीदेवी पत्नि लादूराम
6. रामप्यारीदेवी पत्नि मांगीलाल

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण नि0 सारंगपुरा बड़ के बालाजी अजमेर रोड़ जयपुर

प्रतिवादीगण

**वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थित :– श्री जयन्त चौधरी, अधिवक्ता वादी
श्री लोकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6

## निर्णय

निर्णय दिनांक 16/7/25

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खं0नं0 110/3 रकबा 0.3794 हैक्टर वाकै ग्राम पचकोडिया प0ह0 पचकोडिया भू0अ0नि0क्षे0 पचकोडिया तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज. में स्थित है। जिसमें वादीगण जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज है। प्रतिवादीगण का उक्त खं0नं0 110/3 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त खं0नं0 110/3 रकबा 0.3704 हैक्टर की भूमि संलग्न नक्शें मे बंरग पीले से दर्शित है संलग्न नक्शा वाद पत्र का एक अंग है। वादीगण पारस्परिक सहमति से खं0नं0 110/3 के उत्तरी भाग में अपने संयुक्त 1/3 हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है ओर वह अपनी भूमि खं0नं0 110/1 के पड़ौसी खातेदार काश्तकार होने से उसकी आड़ में आराजी खं0नं0 110/3 जो संलग्न नक्शें में पीले रंग से दर्शित है में वादीगण के 1/3 हिस्से की भूमि जो संलग्न नक्शें में मार्क एक्स से वाई भाग से दर्शित है जिसमें वादीगण ने अपने हिस्से में तारबन्दी कर रखी है उक्त तारबन्दी हटाकर वादीगण के हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाहते है एवं वादीगण को बेदखल करना चाहते है इस गरज से दिनांक 18.09.23 को प्रतिवादीगण खं0नं0 110/3 में मार्क एक्स से वाई भाग पर लगी तारबन्दी को हटाने व जबरन कब्जा करने की चेष्टा की वादीगण ने उनको रोका तो लड़ाई झगड़ा करने लगे व तारबन्दी हटाने व कब्जा करने एवं अपनी भूमि खं0नं0 110/1 में मिलाने की धमकी दी ऐसी स्थिति में वादीगण के हकूको की रक्षार्थ यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।
2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 की ओर से वकील श्री लोकेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश कर अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि वादीगण के द्वारा जिस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कि0शनगढ़ रेनवाल

आराजीयात के सम्बनध में यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा वाद के साथ संलग्न नक्शें में जो एक्स से वाई दर्शित किया है उक्त आराजीयात मौके पर नहीं है बल्कि उक्त आराजीयात रोड़ बाउण्डरी में सम्मिलित है एवं एक्स से वाई जो वादीगण के द्वारा दर्शित किया गया है उस पर कोई कब्जा वादीगण का नहीं है बल्कि सही तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 110/1 का प्रतिवादीगण द्वारा नियमानुसार श्रीमान् तहसीलदार महोदय कि0रेनवाल के समक्ष प्रा0पत्र पेश कर सीमाज्ञान दिनांक 28.06.24 को करवाया गया है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण की उक्त आराजीयात मुख्य रोड़ से लगती हुई तथा मुख्य सड़क व प्रतिवादीगण की आराजीयात के मध्य कोई आराजीयात वादीगण की नहीं है वादीगण की जो आराजीयात वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शें एक्स व वाई दर्शित की गई है वह सड़क में सम्मिलित हो चुकी है तथा वादीगण गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश कर एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रतिवादीगण की आराजीयात को हड़पने व उस पर नाजायज कब्जा करने की गरज से यह वाद व प्रा0पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण के द्वारा वाद पेश किये जाने से पूर्व अपनी आराजीयात का कोई सीमाज्ञान नियमानुसार नहीं करवाया है जिससे यह तथ्य साबित हो कि वाद के साथ संलग्न नक्शें में दर्शित एक्स से वाई की आराजीयात मौके पर उपलब्ध है तथा मौके पर खाली पड़ी हो ऐसा कोई प्रमाण वादीगण के द्वारा अपने वाद के साथ प्रस्तुत नहीं किया है मात्र मनमर्जीपूर्वक राजस्व नक्शें के अनुसार मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित यह वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा आराजी खं0नं0 110/3 के सम्बन्ध में यह वाद पेश किया है ओर अपने वाद में उक्त आराजीयात में अपना 1/3 हिस्सा होना अंकित किया है तथा शेष 2/3 हिस्सा अन्य खातेदारान का होना अंकित किया है परंतु वादीगण के द्वारा वाद में खं0नं0 110/3 के शेष खातेदारान को वाद में पक्षकारान कायम नहीं किया है जो कि वाद में आवश्यक पक्षकार है इसलिए वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार को कायम नहीं किये जाने का दोष मौजूद होने से वाद खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खं0नं0 110/1 से वादीगण का व अन्य का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 की खातेदारी आराजीयात है जिस पर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 काबिज रहकर आराजीयात का उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं वादीगण को प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण का वाद विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रकरण में उभय पक्षों ने जाहिर किया कि दोनो पक्षो के मध्य सीमा को लेकर विवाद है यदि विवादित आराजी संलग्न नक्शा मार्क एक्स से वाई के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर ली जावे तो प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। जिस पर तहसीलदार कि0रेनवाल को विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने बाबत् लिखा गया। जिस पर तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा दिनांक 26.06.2025 को अपने पत्र क्रंमाक भू0अ0/2025/3388 के द्वारा विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसमें विवादित आराजीयात मार्क एक्स से वाई की आराजीयात आई.आर.सी से प्रभावित भूमि होना अंकित किया है उक्त रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादीगण ने विवादित आराजीयात अपनी होना कथन किया, दूसरी ओर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने उक्त आराजीयात रोड़ सीमा में जाना कथन कर वादीगण का वाद खारिज किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली का अवलोकन व तहसीलदार कि0रेनवाल से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादीगण ने जिस आराजीयात मार्क एक्स से वाई के सम्बन्ध में जो यह वाद प्रस्तुत किया है उक्त आराजीयात रोड़ सीमा में होने से वादीगण को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त नहीं की जा सकती है एंवम् वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण चलने योग्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

अतः प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाता है कि वादीगण के द्वारा जिस आराजीयात मार्क एक्स से वाई के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करनी चाही है उक्त आराजीयात रोड़ सीमा से प्रभावित होने से उक्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

निर्णय दिनांक 16/07/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

(सुनीता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

# डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

**अज अदालत :–** उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

**बइजलास :–** सुनीता मीणा आर.ए.एस.

1. रामेश्वरलाल पुत्र नारायण
2. गणपतलाल पुत्र नारायण
3. जगदीशप्रसाद पुत्र नारायण
4. गंगादेवी पत्नि नारायण

समस्त जाति जाट नि0 पचकोडिया तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

**वादीगण**

**बनाम**

1. ग्यारसीदेवी पत्नि हनुमानसहाय
2. नाथीदेवी पत्नि चौथमल
3. प्रभातीदेवी पत्नि जगदीशप्रसाद
4. भूलीदेवी पत्नि घासीराम
5. मूलीदेवी पत्नि लादूराम
6. रामप्यारीदेवी पत्नि मांगीलाल

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण नि0 सारंगपुरा बड़ के बालाजी अजमेर रोड़ जयपुर

**प्रतिवादीगण**

**वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा**
**मुकदमा नंबर 97/2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जयन्त चौधरी व हाजरी श्री लोकेश कुमार शर्मा मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाता है कि वादीगण के द्वारा जिस आराजीयात मार्क एक्स से वाई के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करनी चाही है उक्त आराजीयात रोड़ सीमा से प्रभावित होने से उक्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। निज .....–..... मुबलिग..... .–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

(सुनीता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
कि शनगढ़ रेनवाल

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | – | – | स्टाम्प अर्जी दावा | – | – |
| स्टाम्प वकालतनामा | – | – | स्टाम्प अर्जी | – | – |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | – | महन्ताना वकील | – | – |
| महन्ताना वकील | – | – | खर्चा गवाहान | – | – |
| खर्चा गवाहान | – | – | फीस कमीश्नर | – | – |
| फीस कमीश्नर | – | – | बबत् इजराय हुक्मनामा | – | – |
| मुतफरिक | – | – | मुतफरिक | – | – |
| मीजान | – | – | मीजान | – | – |

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कि शनगढ़ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते